# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

## पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 08/2018/अपील

भागीरथ पुत्र रिछपाल जाति मीणा निवासी ग्राम जुगलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार अजीतगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

**अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार अजीतगढ़ प्रकरण संख्या 143/17 अनुवानी सरकार बनाम भागीरथ**

वकील अपीलांट श्री महेश कुमार जांगिड़

**निर्णय**

दिनांकः—20.06.2018

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पैतृक खाते कब्जे हक अधिकार की कृषि भूमि ख.न. 119 रकबा 2.02 है., ख.न. 120 रकबा 0.03 है., ख.न. 121 रकबा 0.03 है., ख.न. 122 रकबा 1.98 है. राजस्व ग्राम जुगलपुरा उपतहसील अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। अपीलान्ट ने रास्ते से लगते भू भाग पर पुख्ता दीवार व टीनशेड अर्सा करीब 20 वर्ष पूर्व से कायम किये हुये है। हल्का पटवारी द्वारा नायब तहसीलदार अजीतगढ़ के समक्ष अपीलान्ट का रास्ते मे अतिक्रमण होने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट को प्रस्तुत होने हेतु तारीख पेशी दिनांक 19.12.17 नियत की गई। दिनांक 19.12.2017 को अपीलान्ट हाजिर अदालत होकर गैर मुमकीन रास्ता ख.न. 197 पर अपीलांट का कोई कब्जा नही होने तथा पैमाईश करवा कर नपती करवाने का निवेदन किया। नायब तहसीलदार अजीतगढ ने साईकलो स्टाईल ऑर्डरशीट व आदेश में अपीलान्ट का नाम व पता भर कर बेदखली की आज्ञा दिनांक 19.12.17 पारित कर दी। अपीलांट की भूमि से सट कर रास्ता ख.न 197 वाकै जुगलपुरा अवस्थित है। अपीलान्ट ने अपनी भूमियों के पश्चिम में सिंव पर पुख्ता दीवार व टीनशेड अर्सा करीब 20 वर्ष पूर्व से कायम चले आ रहे है। उक्त दीवार तत्कालीन पटवारी से अपनी खातेदारी की भूमियो की नपती करवा कर कायम की गई थी। अपीलान्ट का ख.न. 197 गैर मुमकीन रास्ते पर कोई कब्जा नही है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाबदेही प्रस्तुत कर रास्ता ख.न. 197 पर कोई अतिक्रमण नही होने की लिखित स्वीकारोक्ति प्रस्तुत करते हुये हल्का पटवारी से मुन्तकील निशान से पैमाईश करवाने की प्रार्थना की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की प्रार्थना पर कोई विचार किये बिना ही पटवारी हल्का जुगलपुरा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अपीलान्ट ने ग्राम जुगलपुरा के ख.न. 197 के गैर मुमकीन रास्ता पर कोई अतिक्रमण नही किया है। अपितु नायब तहसीलदार अजीतगढ़ अपीलान्ट के खेत के सामने ...

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निस्तारण करने का प्रयास किया है। अपीलान्ट के खेत के सामने की पडोसी किरण देवी पत्नी जैसाराम मीणा निवासी चुडला की नक्शा सर्वेशीट को देखने पर ख.न. 120 की दक्षिणी सीमा के सामने किरण देवी की सीमा भी समाप्त हो जाती है। लेकिन उक्त किरण देवी ने अपीलान्ट के खेत ख.न. 119 की दक्षिणी सीमा तक अर्थात 17 मीटर आगे बढ कर आम रास्ता ख.न. 197 में अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। अपीलान्ट के खेत ख.न. 119 मे पुख्ता आवासीय ढाणी, पशुओ का बाडा व टीनशेड लगा रखा है। अपीलान्ट को अनाधिकृत हानी पहुचाने की गर्ज से अपीलान्ट द्वारा बिना कोई अतिक्रमण किये ही अतिक्रमण की मनमानी रिपोर्ट नायब तहसीलदार अजीतगढ को प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बेदखली आज्ञा दिनांक 19.12.17 की आड में अगर अपीलान्ट के पुख्ता मकान, डण्डा व टीनशेड तोड दिये गये तो अपीलान्ट को इस कदर असीम क्षति होगी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण संख्या 143/17 में नायब तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा पारित बेदखली आज्ञा दिनांक 19.12.17 को निरस्त किया जावे।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ता अपीलांट को सुना गया। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम चुड़ला के खसरा नम्बर 197 रकबा 1.42 है0 किस्म गै.मु.रास्ता में से 0.01 है0 पर छड़ी व दीवार बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में गै.मु.रास्ता प्रतिबंधित भूमि है। जिसमें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 18.01.2018 में मौके पर से अतिक्रमण हटाया जाना अंकित किया है। अतः राजकीय भूमि (गै.मु.रास्ता) पर छड़ी व दीवार बनाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ़ के द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 19.12.2017 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20/6/18

(जय प्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर